UPAN010007482026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, अम्बेडकर नगर।

अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–196/2026

नितिन उपाध्याय उर्फ नितेन्द्र कुमार उपाध्याय आयु लगभग 52 साल पुत्र स्व० सदानन्द उपाध्याय, निवासी 55 ख/22 कृष्णा नगर, थाना कृष्णा नगर जनपद लखनऊ। ----------आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार ----------अभियोजन पक्ष

12.03.2026

प्रस्तुत प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र धारा 438 द०प्र०सं० के अधीन आवेदक/अभियुक्त नितिन उपाध्याय उर्फ नितेन्द्र कुमार उपाध्याय की ओर से मु०अ०सं०–171/2021 अन्तर्गत धारा 408, 120 बी भा०दं०सं० थाना भीटी, जिला अम्बेडकर नगर में अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है। अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र के साथ आवेदक/अभियुक्त द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी कुलदीप सिंह, परियोजना प्रबन्धक द्वारा सम्बन्धित थाने में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि यू०पी० प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि० उ०प्र० सरकार की एक इकाई जनपद अयोध्या में स्थापित है। उक्त इकाई द्वारा जनपद अम्बेडकर नगर के कतिपय निर्माण कार्यों का सम्पादन किया जा रहा है। उ०प्र० शासन द्वारा दिनांक 08.04.2015 द्वारा मु० 21.65 लाख (कर एवं सेन्टेज सहित) रूपये की परियोजना राजकीय बालिका इण्टर कालेज, भीटी अम्बेडकर नगर में अतिरिक्त कक्ष के निर्माण हेतु स्वीकृत किया गया था तथा दो किश्तों में 21.65 लाख रूपये की धनराशि भी उपलब्ध करा दी गयी। परन्तु परियोजना निर्धारित समय में पूर्ण नहीं की गयी। इकाई के पत्र संख्या 1444/पी०सी०एल०/ परि०प्रब० / अयोध्या दिनांक 11.11.2021 द्वारा कार्यों की जॉच हेतु दिये गये आदेश के क्रम में ईकाई में नियुक्त सहायक परियोजना प्रबन्धक योगेश कुमार चौहान व अवर अभियन्ता प्रमोद यादव द्वारा स्थलीय भौतिक सत्यापन कर जॉच रिपोर्ट दिनांक 08.12.2021 को प्रस्तुत की गयी, जिसके अनुसार कार्य स्थल पर रू० 6.07 लाख का कार्य अवशेष है। विभागीय अभिलेखों की जॉच से पाया गया कि प्राप्त धनराशि के सापेक्ष 1.90 लाख अधिक धनराशि का व्यय कर लिया गया है। शेष कार्य कराये जाने हेतु इकाई के पास इस मद में कोई भी धनराशि उपलब्ध नहीं है। उस समय परियोजना प्रबन्धक के पद पर डी०एस० सिंह व सहायक परियोजना प्रबन्धक के पद पर विनोद कुमार श्रीवास्तव एवं लेखाकार शैलेश कुमार कार्यरत रहे हैं। उक्त अधिकारियों द्वारा ठेकेदारों से दुरभि संधि करते हुए कार्यस्थल पर बिना कार्य कराये धनराशि का गबन कर लिया गया है। अतः प्राथमिकी दर्ज कर उचित कार्यवाही किया जाय। वादी मुकदमा द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध मु०अ०सं०–171/2021 अन्तर्गत धारा 409 भा०दं०सं० के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया गया। सम्बन्धित विवेचक द्वारा विवेचनोपरांत आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध धारा 408, 120 बी भा०दं०सं० के अन्तर्गत आरोप पत्र प्रेषित किया गया है।

आवेदक/अभियुक्त ने अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करते हुये संक्षेप में कथन किया है कि वह निर्दोष है। उसे महज हैरान व परेशान करने के लिये झूठा फंसाया गया है। उसके खिलाफ कोई माकूल साक्ष्य नहीं है। उसके द्वारा राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज भीटी

में न तो कोई कार्य कराया गया है और न ही वह कभी भीटी गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार जो भी कार्य कराया गया है, वह विनोद कुमार श्रीवास्तव द्वारा कराया गया है। विन्धय कंस्ट्रक्शन कम्पनी में कई ठेकेदार है और उक्त कम्पनी ने भी भीटी में कोई कार्य नहीं कराया है। उसके खाते में कोई पैसा गया है या नहीं इस पर विवेचना न करके मात्र सरसरी तौर पर बिना साक्ष्य के मात्र उसको परेशान करने के लिये आरोप पत्र प्रेषित कर दिया गया है। उसके द्वारा किसी भी सरकारी धन का आहरण नहीं किया गया है प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी बढ़ा चढ़ाकर विलम्ब से लिखायी गयी है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नही है। अतः उसने स्वयं को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का अनुरोध किया है।

अभियोजन पक्ष की तरफ से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया है।

मैंने अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी को सुना तथा पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **Satender Kumar Antil Vs. Central Bureau of Investigation & Ors. SLP (Crl) No. 5191 of 2021** में उद्धृत सिद्धान्त के परिपेक्ष्य में पत्रावली के सम्यक् परिशीलन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध कार्यस्थल निरीक्षण आख्या के अवलोकन से स्पष्ट है कि परियोजनान्तर्गत स्वीकृत लागत रू० 21.65 लाख की धनराशि निर्माण इकाई–11. अयोध्या को प्राप्त हो चुकी है। इस कार्य की जाँच पूर्व में भी करायी गयी है। निरीक्षणोपरान्त पाया गया कि कार्यस्थल पर ब्रिक कोबा, एप्रन, डोर बिन्डो ग्लास पैन आदि कार्य अवशेष है और अवशेष कार्यों की लागत रू० 6.07 लाख आंकलित है। सम्बन्धित विवेचक द्वारा कम्पनी व ठेकेदार के मध्य हुये एम०ओ०यू० पत्र को विवेचना में शामिल नहीं किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त पर ठेकेदार होने के कारण धारा 408/120 बी भा०दं०सं० लगाया गया है। धारा 408 भा०दं०सं० का उपयोग सेवक के सम्बन्ध में होता है या फिर ठेकेदार व स्वामी का सम्बन्ध इस प्रकार हो, जिसमें स्वामी द्वारा ठेकेदार के प्रत्येक कार्य पर नियंत्रण रखा जाता है। प्रस्तुत प्रकरण में कार्य में कुछ कमी रही गयी है, जिसकी जांच के पश्चात प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ–साथ ठेकेदार को भी मुल्जिम बनाया गया है। प्रकरण सिविल प्रकृति का प्रतीत होता है। प्रस्तुत प्रकरण में सम्बन्धित विवेचक द्वारा विवेचनोपरांत आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। आवेदक/ अभियुक्त को दौरान विवेचना गिरफ्तार नहीं किया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से आवेदक/अभियुक्त का एक प्रकरण का आपराधिक इतिहास प्रस्तुत किया गया है। आवेदक/ अभियुक्त द्वारा दौरान विवेचना सहयोग नहीं किये जाने के सम्बन्ध में अभियोजन पक्ष द्वारा कोई आख्या प्रस्तुत नहीं की गयी है।

अतः मामले के सम्पूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुणदोष पर कोई टिप्पणी किये बिना मै पाता हूँ कि आवेदक/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र सशर्त स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त नितिन उपाध्याय उर्फ नितेन्द्र कुमार उपाध्याय की ओर से मु०अ०सं०–171/2021 अन्तर्गत धारा 408, 120 बी भा०दं०सं० थाना भीटी, जनपद अम्बेडकर नगर में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त को गिरफ्तारी की दशा में मु०–50,000/– (पचास हजार) रूपये का व्यक्तिगत वन्ध–पत्र एवं इसी धनराशि की एक प्रतिभू लेकर निम्नलिखित शर्तो के अधीन छोड़ दिया जाय।

1. आवेदक/अभियुक्त प्रकरण के विचारण में सहयोग करेंगे, अनावश्यक रूप से स्थगन नहीं प्रस्तुत करेगा।
2. आवेदक/अभियुक्त प्रत्येक नियत तिथि पर समक्ष न्यायालय उपस्थित रहेगा।
3. आवेदक/अभियुक्त अभियोजन साक्षियों को किसी प्रकार से न तो डरायेगा न ही धमकायेगा और किसी प्रकार से साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगा।
4. आवेदक/अभियुक्त बिना न्यायालय की अनुमति के भारत देश छोड़कर नहीं जायेगा।
5. आवेदक/अभियुक्त द्वारा जमानत की शर्तों का उल्लंघन किये जाने की दशा में उसका अग्रिम जमानत स्वतः निष्प्रभावी समझा जायेगा।

(चन्द्रोदय कुमार)
सत्र न्यायाधीश,
अम्बेडकर नगर।
जे०ओ० कोड UP06553

दिनांक 12.03.2026